

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर बस्तर 494001 (छत्तीसगढ़)

फोन (कार्या) : 07782-222006 (निवास) : 227634 (फैक्स) : 07782-222120 E-mail-ccfjagdalpur@rediffmail.com

क्रं./व.त.अ./1190

जगदलपुर, दिनांक 16/05/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)

नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

विषय :- सुकमा जिले के सुकमा वनमण्डल, अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा Laying of OFC along with RoW (Road Corridor) under Network strengthening and Providing Connecting to Rural Areas in Sukma District of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 3.857 हे. पंजीयन बाबत ।

पंजीयन क्रमांक — FP/CG/OFC/155722/2022

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/एल.एम./115-940ए/1869 दिनांक 05/08/2022

2. वनमण्डलाधिकारी, सुकमा वनमण्डल सुकमा का पत्र क्रमांक/व.त.अ./863 दिनांक 15.05.2023

—:000:—

विषयांतर्गत प्रतिवेदन है कि, असिसटेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर के संदर्भित पत्र द्वारा सुकमा जिले के सुकमा वनमण्डल के अन्तर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकमा-दोरनापाल, दोरनापाल-कोन्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिन्दगढ़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.020 कि.मी. सड़क के किनारे राईट-ऑफ-वे (RoW) अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.287 हे., संरक्षित वनभूमि रकबा 1.355 हे. एवं राजस्व वनभूमि रकबा 1.215 हे. कुल रकबा 3.857 हे. वनभूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत ऑनलाईन आवेदन पर संदर्भित पत्र द्वारा पंजीयन क्रमांक आबंटित है ।

आवेदक संस्थान सहायक उपाध्यक्ष (कार्पोरेट कार्य), जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा पंजीयन क्रमांक आबंटन में जारी निर्देशानुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा-निर्देशों तथा छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ7-22/2009/10-2 दिनांक 22.06.2018 से प्राप्त निर्देशानुसार 21 बिन्दुओं की चेक लिस्ट अनुसार व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार कर वनमण्डलाधिकारी, सुकमा वनमण्डल सुकमा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है ।

वनमण्डलाधिकारी, सुकमा वनमण्डल ने आवेदक संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव में वनमण्डल से संबंधित जानकारी शामिल कर अनुशंसा सहित मय संक्षिप्त टीप के साथ संदर्भित पत्र द्वारा व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी, सुकमा वनमण्डल से प्राप्त विषयांकित व्यपवर्तन प्रस्ताव अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु तीन प्रतियों में संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मय संक्षिप्त टीप सहित

प्रस्ताव 03 प्रतियों में मूलतः



मुख्य वन संरक्षक,

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 16/05/2023

पृ.क्र./व.त.अ./ 1191

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, सुकमा वनमण्डल सुकमा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. सहायक उपाध्यक्ष (कार्पोरेट कार्य), जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड, चौथी मंजिल, आफिस न. 401-405, अबुंजा मॉल, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



मुख्य वन संरक्षक,

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

64(A)

भाग- 3

(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/OFC /155722/2022

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका संबंधित मुख्य वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

15. क्या संबंधित मुख्य वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।

हां! सहमत हूँ।

16. प्रस्ताव कि स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिशें।

प्रकरण के स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : 16/05/2023

स्थान : जगदलपुर

हस्ताक्षर

नाम

(मो. शाहिद)

भा. व. सं.

मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर